चूकी है एव खाता संख्या 74/74 से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कलमजन किये जाने के आदेश हो चूके है एव शेष खातों में वादीगण को प्राप्त आराजी वादीगण के नाम से दर्ज होना शेष है एव अन्य किसी सहकाश्तकारान प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर वादीगण के कथनो का एवं मुताबिक पारिवारिक बंटवारा प्राप्त कब्जा काश्त का विरोध नही किया है। वादीगण व प्रतिवादीगण मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार अपने हक हिस्सा में प्राप्त आराजी की खातेदारी घोषणा का अनूतोष चाह रहे है एव वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य कब्जा काश्त के सम्बध मे कोई विरोध नही है। इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को अभिकथनों इकबाल कथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि– (1) चक 2 बीजीएस की जमाबंदी संख्या 2076–2079 के खाता संख्या 162/158 में प्रतिवादी संख्या 3 मृतक हाकम सिंह के नाम दर्ज 1.064 है0 आराजी में वादीगण को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव उक्त खाता से मृतक हाकम सिंह का नाम कलमजन किया जाता है। (2) चक 5 बीजीएस की जमाबंदी संख्या 2074–2077 के खाता संख्या 106/106 में प्रतिवादी संख्या 3 मृतक हाकम सिंह के नाम से दर्ज मु0न0 12 के कि0न0 24 सालम कुल 0.253 है0 आराजी में वादीगण को ब0हि0ब0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उक्त खाता से मृतक हाकम सिंह का नाम कलमजन किया जाता है। (3) चक 5 बीजीएस की जमाबंदी संख्या 2074–2077 के खाता संख्या 43/43 में प्रतिवादी संख्या 3 मृतक हाकम सिंह के नाम से दर्ज 0.544 है0 आराजी में से 0.042 है0 आराजी में वादीगण को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव उक्त खाता से 0.042 है. तक मृतक हाकम सिंह का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे । उक्तानूसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.1.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

21.1.2021

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned with CamScanner